प्रश्न सं. [क्र. 569]

परिशिष्ट— "35"

कार्यालय कलेक्टर (खनिज—शाखा) जिला सतना, (म0प्र0)

पत्र क्रमांक 436/खनिज/2018 E-mail- modgmsat@mp.gov.in

सतना दिनांक 05/2/18

कारण बताओ सूचना

प्रति,

श्री श्रवण कुमार पाठक,
पिता स्व. श्री मूलचंद पाठक,
चाणक्यपुरी कालोनी, सेमरिया चौक,
सतना, (म.प्र.)

विषयः— ग्राम रामस्थान, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना के रकबा 80.00 एकड़ क्षेत्र में चूना पत्थर खनिज हेतु स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में खनिपट्टा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भः— 1. खनि अधिकारी, जिला सतना का प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2018
2. निरीक्षण दिनांक 20.12.2017 एवं दिनांक 01.02.2018 से।

—00—

उपरोक्त विषायांतर्गत संदर्भानुसार आपको ग्राम रामस्थान, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना के रकबा 80.00 एकड़ क्षेत्र में अवधि दिनांक 22.07.1979 से 21.07.2019 तक में चूना पत्थर खनिज हेतु स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र के संबंध में प्राप्त शिकायतों के तहत् दिनांक 08.11.2017 को जांच दल गठित किया गया था।

उक्त आदेश के परिपालन में समय—समय पर संयुक्त एवं विभागीय तौर पर शिकायत में उठाए गए बिन्दुओं की जांच की गई। जांच में पाए गए मौका स्थिति अनुसार आपके द्वारा उत्पादित खनिज चूना पत्थर का परिवहन ईटीपी माध्यम द्वारा रामस्थान से प्रिज्म सीमेंट, मनकहरी तक कराया जाना पाया गया। आपके द्वारा लीज क्षेत्र में स्थापित तौल मशीन पर ईटीपी सिस्टम के माध्यम से वाहन भार क्षमता से अधिक खनिज के परिवहन कराये जाने के संबंध में सिस्टम द्वारा आपको परिवहन विभाग के नियमों की अवहेलना होने पर सचेत किये जाने के बाद भी विभिन्न जांच दिनांकों में आपके द्वारा वाहन भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन हेतु ईटीपी जारी की गई। आपके द्वारा किये गये कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर शासन द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना की जा रही है। इस सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्ट लिखित समाधानकारक जवाब 30 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निश्चित समयावधि में आपके द्वारा समक्ष में जवाब प्रस्तुत न किये जाने से स्वीकृत खदान से ईटीपी सिस्टम को ब्लॉक किये जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।

कलेक्टर,
जिला—सतना (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

परिशिष्ट—"उ"

परिशिष्ट—"सा"

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) जिला–सतना, (म.प्र.)

E-mail modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 419/खनिज/2019 सतना, दिनांक 10/02/2019

प्रति,

संचालक,
संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म
29 ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, (म.प्र.)

विषय:— विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 695 द्वारा माननीय विधायक श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू जी।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक 83 दिनाँक 09.02.2019।

विषयांतर्गत विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 695 द्वारा माननीय विधायक श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू जी से संबंधित जानकारी के सम्बन्ध में बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है–

1. बिन्दु राजस्व अभिलेखों के संदर्भ में है, जिसके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जांच के अधिकार हैं।
2. संबंधित नहीं है।
3. राजस्व विभाग से संबंधित है।
4. शासन के आदेश क्रमांक 3–137/75/12 दिनांक 14.02.1979 से ग्राम रामस्थान के कुल रकबा 80 एकड़ में खनिज चूना पत्थर का खनिपट्टा श्री श्रवण कुमार पाठक को कुल खसरा क्रमांक 1265पी, 985, 1232पी, 1273, 992पी 1238पी, 1251पी, 951पी, 993पी, 996पी, 994पी, 995पी, 984 सम्मिलित है।
5. स्वीकृत खदान क्षेत्र रकबा 80 एकड़ से पृथक क्षेत्र खसरा क्रमांक 1238 अंश रकबा 0.60 एकड़ व खसरा क्रमांक 991 के अंश रकबा 0.20 एकड़ में अवैध उत्खनन पाया गया था।
6. खदान क्षेत्र से उत्खनन किये गये खनिज की सप्लाई मेसर्स प्रिज्म सीमेंट मनकहरी को की गयी है। क्षेत्र में भूमि प्रिज्म सीमेंट अल्ट्राटेक ने भी खरीदी है, की जानकारी विभाग को नहीं है।
7. उत्खनन के बाद खनिज का परिवहन हाईवा के माध्यम से किया गया, जिसमें परिवहन विभाग की भार क्षमता 16 टन के विरूद्ध अधिक मात्रा खनिज का परिवहन कराया गया। परिवहन कराये गये खनिज की सम्पूर्ण रायल्टी अग्रिम भुगतान करने पर खनिज की ईटीपी जारी हुई है। परिवहन नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर क्षेत्रीय परिवहन विभाग, सतना द्वारा कुल 22 वाहनों में 1,17,300/– रूपये का अर्थदण्ड किया गया है।
8. राजस्व विभाग से संबंधित।
9. राजस्व विभाग से संबंधित।
10. राजस्व विभाग से संबंधित।
11. राजस्व विभाग से संबंधित।
12. राजस्व विभाग से संबंधित।

खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग